Shri Manubhai Shah: The Third Plan is spread over a period of five years. On the contrary, Sir, the hon. Member perhaps would appreciate that we have taken steps to see that before the Third Plan begins all broad details of the projects are ready which normally would have to be done during the Plan period.

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

\+

*९९९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्रीमती मैमूना सुल्तान

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता के बारे में कोई नया कानून बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस नए कानून का प्रभाव कितने भारतीयों पर पड़ेगा?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां): (क) सरकार को ऐसे किन्हीं नए कानूनों का पता नहीं है जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता के बारे में बनाए गए हों।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

An Hon. Member: In English.

Shri Sadath Ali Khan: (a) Government are not aware of any new laws having been framed in regard to the citizenship of Indians in South Africa.

(b) and (c). Does not arise.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पीछे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी मिली है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपनी पालियामेंट में ऐसा कानून लाने जा रही है कि जो भारतीय भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करेंगे, वे स्त्रियां दक्षिण अफ्रीका में नहीं आ सकेंगी और वहां की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकेंगी। यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की है?

Shri Sadath Ali Khan: Yes, Sir. The *Hindustan Times* in its issue of 24th February, 1961, published a piece of news according to which the South African Union Government propose to place restrictions by means of a Bill on marriages by proxy between persons of Indian origin and their brides in India. But according to Indian leaders in Durban this does not however affect the Indian community in South Africa. With regard to the second part of the question, as the hon. Member knows, there is no Indian Mission in South Africa and the Government of India has no means to verify the precise intention of the South African Government.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस प्रकार का विधेयक पास होने से भारतीय परिवारों के बहुत से उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा जिनके वैवाहिक सम्बन्ध निश्चय हो चुके हैं लेकिन अभीतक जिनके विवाह नहीं हुए हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करेगी कि जिससे इन असुविधाओं का सामना उन परिवारों को न करना पड़े ?

श्री सादत अली खां: साउथ अफ्रीका की सरकार इन बातों पर सोच रही है। सन १९५३ में भी उसने ऐसा कदम उठाया था : हम इस मामले में क्या कर सकते हैं यह बतलाना जरा मुश्किल है।

[ساؤتھ افریقہ کی سرکار ان باتوں پر سوچ رہی ہے - سنہ ۱۹۵۳ ع میں

بھی اس نے ایسا قدم اتھایا تھا - ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں یہہ بتلانا زرا مشکل ھے -]

Shri D. C. Sharma: Now that South Africa has quit the Commonwealth of Nations, may I know what will be its effect on the nationals of South Africa of Indian origin and also origin of other countries?

Shri Sadath Ali Khan: The question is about Indian brides. Does the hon. Member want to know how the brides will be affected? I am unable to say that.

Mr. Speaker: It is a larger question. I am really surprised to see that the hon. professor wants the hon. Parliamentary Secretary to tell him the effect of the withdrawal of South Africa from the Commonwealth. The hon. Prime Minister will come here in a day. We will then have ample opportunity to understand what exactly the effect of it will be. There are various speculations everywhere.

Shri Tangamani: May I know whether a deputation of persons from South Africa mostly of Indian descent have visited Delhi and made representations to the Government; if so, did they mention any of the discriminatory treatment by way of new legislations passed in South Africa?

Shri Sadath Ali Khan: I would like to have notice for that.

सरकारी क्षेत्र में इस्पात 'रोलिंग' मिल

*१००० **श्री विभूति मिश्र:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने हाल में सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात 'रोलिंग' मिल' खोलने की योजना स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो वह मिल किस राज्य में खोली जायेगी और उसकी कितनी क्षमता होगी; और

(ग) उस मिल को खोलने में कितना व्यय होने की संभावना है?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित रोलिंग मिल मद्रास राज्य में खोली जायगी और इसकी क्षमता २० हजार टन प्रति वर्ष पैदा करने की होगी।

(ग) यद्यपि मद्रास राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अभी यह बताना कठिन है कि इसके बनाने में कितना खर्च होगा।

An Hon. Member: In English.

Shri S. N. Mishra: (a) Yes, Sir.

(b) The proposed steel rolling mill would be in the Madras State and its capacity would be 20,000 tons per annum.

(c) Although a provision of Rs. one crore has been made for this scheme in the Madras Third Five Year Plan, it is not possible to indicate the expenditure likely to be incurred on the setting up of the mill at this stage.

श्री विभूति मिश्र: मैं यह जनाना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी रोलिंग मिल किसी और राज्य में भी खोलने की स्कीम बनायी है?

श्री श्या० नं० मिश्र: अभी मैं ने अपने माननीय मित्र उद्योग मंत्री से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा आन्ध्र राज्य सरकार की योजना में भी थी लेकिन निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। प्राइवेट सेक्टर